BOMBAY first

कचरा हटाओ

उपाय है, अगर आप अपने घर से ही शुरूआत करे.
गीले और सूखे कचरे को अलग करना.

संदेश

बृहन्मुंबई महापालिका ने ये दायित्व संभाला है कि हर दिन ६००० मीट्रिक टन के कचरे को जमाकर उसका निपटारा किया जायेगा. ३५,००० लोगो के सतत् प्रयास और करोड़ों रुपयों के व्यय के बाद भी परिणाम उपेक्षा के अनुरूप नहीं आ रहे हैं.

यह ध्यान में लाया गया है कि स्थानीय संस्था के अकेले प्रयास से शहर को स्वच्छ रखना मुश्किल है, साथ ही अशासकीय संस्थाओ की कोशिश भी अल्प नजर आती है. तभी बृहन्मुंबई महापालिका ने अपना पूरा ध्यान कचरे को कम करने और उसके पुन: उपयोग पर लगाया है. कचरे को अलग-अलग करने और उसके होने वाली जगह पर खाद-बनाने की प्रक्रिया ही कूड़ा-करकट प्रबंधन योजना का हिस्सा है. बॉम्बे फर्स्ट जैसी संस्थाएं ही बृहन्मुंबई महापालिका के प्रयासों को घर-घर तक पहुँचाने में सहयोग दे रही है.

यह पुस्तिका इसी दिशा में एक प्रयास है. मुझे आशा है यह पुस्तिका स्थानीय संस्था और नागरिकों के बीच आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाकर इसके उद्देश्य को पूरा करनें में सहायक होगी.

ए. के. जैन
अति. महापालिका कमिश्नर

मुम्बई, अप्रैल १९९९

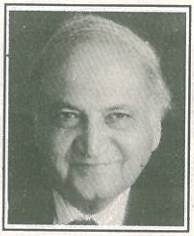

अध्यक्ष की कलम से

कूड़ा-करकट प्रबंधन समिती, बॉम्बे फर्स्ट

निश्चित ही ये हमारा कठिन वर्तमान है, जिसने हमें सुनहरे भविष्य की किरण दिखाई. कूड़ा-करकट प्रबंधन के लिए कचरे की बढ़ती समस्या ही नागरिकों को जागरुक बनाने में बेहद सहायक है. बॉम्बे फर्स्ट की यह पुस्तिका एक प्रयास है उस जाकरूकता को ऊर्जा और गति देने का.

बॉम्बे फर्स्ट, यह प्रयास है बॉम्बे चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री का. जिसका उद्देश्य है इस महानगर को रोजगार, व्यवसाय और रहने की दृष्टि से बेहतर बनाया जाए. जिसकी शुरूआत इसे स्वच्छ और सुंदर बनाने से होगी. स्वच्छ शहर ही स्वस्थ शहर, इसी बात का प्रतीक है.

महापालिका (एम सी जी एम; म्युनिसीपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई) की नजर में किसी भी शहर को स्वच्छ, सुंदर बनाने में उसके नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है. पिछले दो वर्षों की कोशिशों ने यह दिखाया है कि नागरिकों की उत्सुकता अपेक्षा से काफी कम है. इसकी वजह है, उसे यह जानकारी नहीं कि उसे इसके लिए क्या और कैसे करना है ? महापालिका को नागरिको का सहयोग मिलें इसके लिए उसे जानकारी और सलाह की खोज है.

यह पुस्तिका उसी जानकारी को नागरिको तक पहुँचाने का प्रयास है. इसे हमारे पहले प्रयास के रूप में देखा जाए. यह स्वंयसेवी संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओ, नागरिक समितियों, स्थानीय संस्थाओ और उन नागरिको के लिए बनी है, जो अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की भरसक कोशिश में है.

मुंबई, मई १९९९

केशव महिन्द्रा

अनुक्रमणिका

१. **क्यों और कैसे हर नागरिक की कोशिश जरूरी ?**
कचरे की कमी, पुर्नउत्पाद में

२. **मुख्य बात : गीले और सूखे को अलग-अलग करना**
पहला कदम सड़क और घर को साफ रखना.

३. **कदम से कदम :**
प्रबंधन समिती
जमादार और कचरा बीनने वाले
समूह विशेष
प्लास्टिक बैग को **'न'** कहे

४. **भू-उपजाऊ परिस्थितियाँ पैदा करें –**
शहरी कृषि
खाद उत्पादन
बायो-केमिकल पाउडर

५. **एम सी जी एम – नागरिक साझेदारी का प्रारूप –**
ए एल एम : कैसे स्थानीय प्रशासन और वार्ड कार्यालय एक दूसरे के पूरक हो ?

६. **कुछ कठिन सवालों के जवाब.**

७. **ये हो सकता है**
चर्चगेट और जोशी लेन प्रोजेक्ट, स्वच्छ मुंबई फांउडेशन; डा. रमेश दोषी; डिग्नीटी फांउडेशन; ए वाय बी आई; एच पश्चिम फेडरेशन; मुंबई बचाओ समिती.

* इस पुस्तिका में बृहन्मुंबई महापालिका एम सी जी एम के नाम से बताई जाएगी बी एम सी के नाम से नहीं

समस्या से निपटने की तैयारी, अभी से !

मुंबई शहर में प्रति दिन ६००० टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है. जिसमें से ४००० टन घरों में पैदा होने वाला कचरा है. बृहन्मुंबई महापालिका (एम सी जी एम) इस कचरे को ४ कचरास्थानों पर निपटारा करता है लेकिन आने वाले ५ वर्षो में इस कचरे को रखने में यह जगह असक्षम होगी.

शहर के कचरे को निपटारा करने के लिए महापालिका प्रतिवर्ष ३०० करोड़ रुपये खर्च करता है. जिसमें ३५,००० कर्मचारी इस काम में जुटे हुए है. अभी हाल ही में एशिया की प्रसिद्ध पत्रिका एशिया वीक ने ४० एशियन नगरों में किए सर्वे के परिणामों में मुंबई महानगर, साफ-सफाई और स्वच्छता के नजरिए में सबसे आख़री आता है, ऐसा तब है जबकि कूड़ा-करकट प्रबंधन इसका हिस्सा है.

मलेरिया, डेंगू, गले और फेफड़ों के संबंध की बीमारियां इसी वजह से बढ़ती है. कचरा इन बीमारियों को पैदा करने की मुख्य वजह है, क्योंकि यह विषैली गैस, रसायन, हानिकारक कीड़ों को जन्म देता है, जो बीमारियों को बढ़ाते है.

महापालिका के कचरास्थानों के आसपास ३० लाख की आबादी निवास करती है. जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है. हैजे जैसी बीमारी जो हम समझते है, हमारे काबू में है, इसी कचरे की वजह से फैलती है.

हमारा शहर स्वच्छ, सुंदर और सेहत से हराभरा हो सकता है जब महापालिका और नागरिक मिलकर इस समस्या से निपटे.

हमे याद रखना होगा :

* कचरा कम से कम करें.
* ऐसी सामग्री इस्तेमाल करे जो पुर्नउपयोग की जा सके.
* कचरे से उपयोगी वस्तुओं का पुर्नउपयोग करे.
* प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बिल्कुल न करे.

यह कठिन नही, शुरूआत घर से ही करे.

• सब्जियाँ

• फल के बीज और छिलके

• नारियल

• अंडे का छिलका

• पत्ते

• चायपत्ती

• बासी या सड़ा खाना

• हाड्डियाँ व मांस

घर में दो तरह के कचरे होते है.

गीला कचरा जो किचन या बाग से निकलता है, प्रकृति इसे अपने ढंग से अपनाती है यह भूमि की उपज बढ़ाने का अच्छा काम करता है (खाद के रूप में)

• कागज़

• धातू

• प्लास्टीक

• कांच

• रबड़,

•बैटरी

• दवाई की पत्ती

सूखा कचरा : जैसे कागज, प्लास्टिक, कपड़ा, धातु, काँच जिनका पुर्नउपयोग या पुर्नउत्पादन हो सकता है.

कचरे का मिश्रण सेहत के लिए हानिकारक है.

यदि दो तरह के कचरे मिल जाते है तो गीले कचरे के प्राकृतिक अच्छे अवयव फायदेमंद नही हो पाते. प्लास्टिक और कई अन्य चीजों की वजह से उसके हवा लेने की प्रक्रिया रूक जाती है. जिसके कारण उसके अच्छे गुण खत्म होकर वह किसी भी काम के लिए बेकार हो जाता है. जिससे गंदी बदबू, विषैले रसायन, हानिकारक कीटाणु रह जाते है जो सेहत के लिए हानिकारक होते है.

क्या करे ? अलग -अलग !

१. गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करे, उन्हें दो अलग-अलग डिब्बों में रखे. गीले कचरे को बाल्टी और सूखे कचरे को कागज के डब्बे या खोखे में रखे.

२. जब भी गीला कचरा निकले उसे जल्द ही जमादार के हवाले करे ताकि इसका महापालिका अपनी तरह से निपटारा कर सके.

३. सूखा कचरा, जो धीरे धीरे जमा हो जाता है उसे नियमित रूप से, कुछ दिनों के अन्तर पर कचरा जमादार को दे. जिससे वो उसे ऐसी जगह पहुँचा सके जहां वो पुर्नउपयोग में लाया जा सके.
(जैसे कचरा बीनने वालों के जरिए)

कचरा अलग करना कैसे सहायक है ?

१. यदि गीले और सूखे कचरे का न मिलाया जाए तो बदबू पैदा नही होती. आप पाएंगे किचन का गीला कचरा जल्दी ही खत्म हो जाता है.

२. आपका जमादार (या कचरा ले जाने वाला) ढंग से अलग रखे कचरे खुशी-खुशी ले जाता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ उसके काम आ जाता है, यदि उस कचरे में पुर्नउत्पादित, पुर्नउपयोगी वस्तुओं को वो बेच सकता है, तो ये कचरा उसके लिए बहुत फायदे वाला है.

३. कचरा बीनने वाले उसे अच्छे से इकट्ठा करके ले जाते है, जिससे वो फैलता नहीं, जो आपकी और उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है.

४. गीला कचरा कम होने से महापालिका को भी उसे ले जाने आसानी रहती है.

५. सूखा कचरा उपयोगी हो सकता है, तभी कचरा एक तरह से खजाना होता है.

शुरूआत कैसे हो ?

१. आसपड़ोस या बिल्डिंग के कुछ उत्साही, समझदार लोगों का "विशेष समूह" बनाए.

२. इसमें ऐसे लोग साथ हो जो बातों में कम और काम करने में ज्यादा विश्वास करते हो. इन बातों को उनके साथ विमर्श करे.

३. हर बिल्डिंग और सोसायटी की अपनी समस्या होती है, उसका हल ढूँढना ही उनका सहयोग पाने का विश्वास दिलाता है.

४. यह पता किया जाए कि आस-पड़ोस की बिल्डिंगों, सोसायटी में किस तरह की कचरे की समस्या है.

५. जो इस तरह की योजनाओं पर विश्वास नही करते, उनसे आपसी बातचीत करके उनका विश्वास जीते और उत्साही लोगों को साथ मिलाएं.

६. महापालिका के साथ मिलकर, जल्द से जल्द वॉर्ड ऑफ़िस को अपनी जगह की और अपनी योजना की जानकारी दे.

"विशेष समूह"

यह "विशेष समूह" योजना को साकार रूप देने का जवाबदायी होगा. जहाँ नियमित रूप से बातचीत, बैठक हो. हर एक व्यक्ति को उसका काम दिया जाए और इन बैठकों की कार्यक्रम-सूची बनाकर तैयारी रखी जाए.

१. इसके सदस्य अपनी-अपनी जिम्मेदारी संभाले जैसे कुछ लोग बिल्डिंग के अलग-अलग हिस्से की सफाई पर ध्यान रखे. कुछ लोग सबसे मिल जुलकर योजना को रूप देने का काम देखे.

२. ये सदस्य निवासियों, रहनेवालों की मुश्किले और सवालों का जवाब दे सके. हर एक परिवार को इस पुस्तिका की एक प्रति दी जाए.

३. पहली बैठक के बाद 'विशेष समूह' निवासियों से जुड़कर योजना को चलाते रहे. योजना के परिणाम नियमित रूप से तीन महीने तक ध्यान रखे.

४. 'विशेष समूह' अपनी योजना और उसके परिणामों की जानकारी समय-समय पर निवासियों को देते रहे.

५. कुछ समय के बाद 'विशेष समूह' योजना के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम चलाए सोसॉयटी, बिल्डिंग में रहने वालो और सदस्यों से छ: से बारह महीने तक की राशि ली जानी चाहिए.

प्रबंधन समिती की बैठक

१. हर मोहल्ले या कॉलोनी में अक्सर 'कार्यवाहक समिती' या निर्णायक समिती होती है, इसके अध्यक्ष को इनबातों की सूचना या जानकारी दी जाए.

* आस-पडोस की समस्या
* सेहत और पर्यावरण पर उसका प्रभाव
* योजना के फायदे (शुद्ध पर्यावरण, परिवार की सेहत, कचरा बीनने वालों की आमदनी)
* योजना चालू करना कितना आसान.
* कचरा बीनने वालों को सोसॉयटी, मोहल्ले की तरफ से खर्च न देकर भी उनका कितना फायदा.
* कचरा अलग-अलग करने की आदत मुंबई में बढ़नी चाहिए, जो महापालिका का उद्देश्य है.

२. यह पत्र समूह या समिती के अध्यक्ष की जानकारी में लाया जाए और इन विषयों पर उनके साथ बैठक हो.

३. बैठक में विशेष समूह के सदस्यों, निवासियों, जमादारों और कचरा बीनने वालों को इस योजना के फायदे समझाए जाए.

४. प्रबंधन समिती के द्वारा सभी निवासियों को यह सूचना दीजाए जिससे उनका सहयोग मिल सकें.

५. निवासियों से आपसी, व्यक्तिगत मुलाकात की जाए. बहुमंजिला इमारतों में हर फ्लोर के प्रबंधक की सेवाएं ली जाए.

६. दरअसल यह नियम बनाया जाए कि बिल्डिंग में बिना अलग किया कचरा नहीं लिया जाएगा.

जमादार से मुलाकात :

१. इस योजना की सफलता के लिए बिल्डिंग के जमादार या कचरा ले जाने वाले का सहयोग जरूरी है, इसके लिए 1विशेष समूह2 के सदस्य उससे जाकर मिलें.

२. किस तरह सूखा या गीला कचरा अलग-अलग रखे यह उनको दिखाया जाए.

३. यह बताया जाए कि इस योजना से उसे किस तरह के फायदे है. (आर्थिक और काम के नजरिए से)

४. बिल्डिंग के जमादार कचरा बीनने वालों को पहचाने और उन्हें इस काम में सहयोग दे.

५. उसे सोसॉयटी / मोहल्ले / इमारत के नियमों की जानकारी दे जिससे उसे अपना सहयोग देने में आसानी हो.

प्लास्टिक बैग / थैलों के लिए 'न' कहे

लगभग ५ लाख प्लास्टिक की थैलियाँ / बैग मुंबई में हर दिन बाजार में आती है, प्रकृति इसे ग्रहण नहीं कर पाती और कचरा बीनने वालों के लिए बेकार है - इन्हें बेचा भी नहीं जा सकता, जिससे न खत्म होनेवाली ये प्लास्टिक थैलियाँ गंदगी फैलाती है और वातावरण में प्रदूषण पैदा करती है. इसीलिए:

* आप जब भी बाजार जाए, साथ में कागज, कपड़े या जूट की थैलियाँ ले जाए.

* दुकान में प्लास्टिक थैलियों के लिए न कहे और दूसरों से भी ऐसा ही करने को कहे.

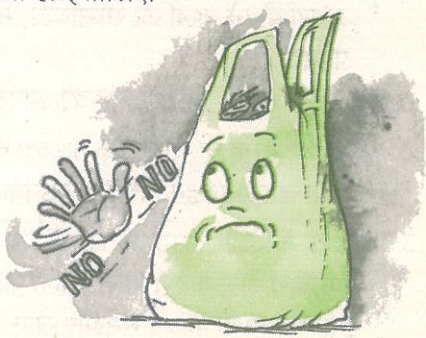

*	अपने जानने वालों और बच्चों को भी प्लास्टिक थैलियों से होनेवाले प्रदूषण और हानियों की जानकारी दे.

*	कचरा इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल न करे.

केन्द्रीय और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की शुरूआत की. इसके कई उपाय उपलब्ध है. पर्यावरण सहयोगी थैले जो साफ किए जा सकते हो और इस्तेमाल में आसान और बार-बार जिनका उपयोग किया जा सकता हो. ऐसे थैले जो आसानी से हाथ में आ जाए और नष्ट किए जा सकते हो. (संपर्क करे : सुश्री आलिया फतेह अली फोन : ६१०-५२८२) मजबूत और इस्तेमाल में आसान उत्पाद के लिए : मि. प्रमोद खोसला फैक्स : ६१७-५११९

कचरा बीनने वाले :

इस योजना में कचरा बीनने वालों का रोल, महत्व समझा जाए, उन्हें इसमें शामिल करने की कोशिश की जाए. सामाजिक तौर पर उनका महत्व बढ़ेगा बल्कि इस योजना से उन्हें आर्थिक फायदा होगा और निवासियों को उनकी सेवा का फायदा मिलेगा.

किचन का कचरा उपयोगी बनाए :

कृमि-उत्पादन:

गीले कचरे का क्या करें ? महापालिका इसे कचरा-पेटी पर ले जायेगी निपटारे के लिए. परंतु यह 'कृमि उत्पादन से' मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ा सकती है. छोटे-छोटे और 'भू-जीवाश्म' के साथ प्रकृति मिलकर मिट्टी की उपज फल, फूल और सब्जियों की पैदावार बढ़ा सकती है.

नीचे दिए गए सलाह के अलावा, अनुभवी व्यक्तियों के सुझाव का इस्तेमाल करने से छोटी-मोटी भूलों, गलतियों से बचा जा सकता है :

१.	इमारत में कहीं मिट्टी की जगह या पार्क चुना जाए, जहाँ सतह पर सीधे सूरज की रोशनी न पड़ती हो.

२.	एक वर्ग मीटर की जगह रसोई या बगीचे के १ किलो गीले कचरे की उपज के लिए काफी है. यह प्रतिदिन २ किलो, ३ किलो इस तरह बढेगा. ५ सदस्यों वाले परिवार में प्रतिदिन रसोई से ३ किलो तक कचरा निकलता है.

३.	३ किलो या ४ किलो गोबर प्रति वर्ग मीटर जगह पर फैला दे इस पर पत्तियों की

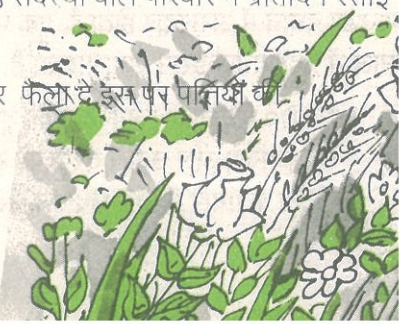

१० से.मी. सतह से ढक दे इसके ऊपर जूट के कपड़े डाल दे, इसकी नमी को १५ दिनो तक बनाए रखे ताकि इस जगह केचुंए पैदा हो जाए फिर इसे पलट दे जीवाश्म पैदा होगें जो उपयोगी होते है.

४. १५ दिनों के बाद कच्ची सब्जियो का कचरा सतह पर फैलाएं. महीने भर बाद पके हुए खाने का बचा भाग फैलाये पर हर रोज नहीं. ये सतह ५ से.मी. से १० से.मी. मोटी हो सकती है पर ध्यान रहे कि कचरे का ढ़ेर न बनाए जो नीचे की सतह तक ऑक्सीजन जाने से रोक सकता है.

५. ऐसी जगह जहाँ केंचुए न हो कृमि उत्पादन नाली में किया जा सकता है. मिट्टी को १ मीटर गहराई तक खोदे. नीचे सतह में ईट या पत्थर लगाए उसके ऊपर गोवर बिछा दे. (क्रमांक ३ देखे)

६. उसके ऊपर ४ किलो या ५ किलो का 'कृमि-लेप' प्रति वर्ग मीटर की सतह पर लगाए इससें मिट्टी में पैदा होने वाले केंचुए रहते है इसे आप चुने हुए स्टोर्स में खरीद सकते है.

७. केंचुए गीले कचरे को कुछ समय के बाद ऊपज बढ़ाने वाली खाद में बदल देते है.

८. इससे उठने वाली बदबू से बचाव के लिए इसके ऊपर धूल या नींबू पाउडर छिड़क दीजिए. नियमित रूप से इसके ऊपर पानी का छिड़काव इसकी नमी को बनाए रखता है.

९. तीन या चार महीनों में यह एक अच्छी किस्म की खाद बन जाती है. पैदावार से पहले कुछ दिन उस पर पानी का छिड़काव रोक दे.

१०. इस बनी हूई खाद का उपयोग बागवानी, फल, फूल और सब्जियाँ पैदा करने के लिए करें.

'कृमि-लेप' और 'कृमि उत्पादन' की अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे :
सुश्री: प्रिया साल्वी-फोन: ५०० ३११४/२००४. श्री: श्रीकृष्णा भागवत (९११) ४८३ २३८, ४८१ २२१ मोबॉइल : ९८२११-३११२४ श्री अनिल भाटिया: २०८ ३८११ फैक्स: २०६ २१३५.

बायो केमिकल पाउडर : इकोविजिल बायो पाउडर :

इस पाउडर का निर्माण मिट्टी और 'कृमि-लेप' की सहायता से होता है. यह गीले कचरे को सूखा पाउडर बनाने में असरदार होता है. एक प्लास्टिक के ड्रम में पाँच सदस्यों के परिवार द्वारा एक साल में पैदा कचरा इसमें समा सकता है.

१. एक ७० लीटर का प्लास्टिक का ड्रम लीजिए. उसकी निचली सतह में २ से.मी. का गोल छेद कीजिए और ऊपरी तरफ की सतह पर १ से.मी. के कई छोटे छोटे छेद कीजिए. या मिट्टी के गमले में नीचे छेद कर उसका इस्तेमाल करे.

२. इसकी सतह पर ५ से.मी. तक छोटे ककंड, पत्थर बिछाए इसके ऊपर ५ से.मी. की दरियेकी रेत बिछाए. इसे गीला कीजिए. अब यह इस्तेमाल के लिए तैयार है.

३. किचन की सब्जियों का कचरा हर दिन डालिए. बायो केमिकल पाउडर का छिड़काव हर दिन करे.

४. पहले तीन सप्ताह केवल कच्ची, उबली और पकाई हुई सब्जियाँ, फलों का कचरा, चावल, दाल, अंडे के छिलके, धूल, चाय पत्ती, कॉफी पाउडर, कागज के टुकड़े, रूई और भुट्टे के छिलके हर दिन डालिए और उसकी नमी बनाए रखे.

५. पहले तीन हफ्ते तेलीय और माँसाहारी, दूध और दूध से बने कचरे को अलग ही रखे.

६. एक हफ्ते बाद, कचरे को मिलाइए ताकि उसे हवा लगती रहे हर दिन या एक दिन छोड़ इसे हिलाकर और कचरा भरते जाइए.

७. तीन हफ्ते के बाद, आप किसी भी तरह का गीला कचरा डाल सकते है सिर्फ नारियल को छोड़. ज्यादा मात्रा के लिए उस पर ज़्यादा मात्रा में बॉयो-केमिकल पाउडर छिड़के इतना कि कचरे की ऊपरी सतह से कचरा नजर ही न आए.

सामान्य बात :इस बाल्टी को छाँव में रखिए हवादार जगह हो. इस पर कुछ ढँका हो तो रात में उसे हटा दे. अगर इसकी बदबू ज़्यादा हो तो बॉयो-केमिकल पाउडर की मात्रा बढ़ाकर छिड़काव करे और इसे मिलाते रहे. ध्यान रहे इसमें कोई दवा न मिलाए और इसकी नमी बनाए रखे.

बायो-केमिकल के लिए संपर्क: श्री. नॉर्बट डिसूजा (फोन: ६०५ ६६०८) श्री. शांन्तु शिनॉय (फोन: ६२३ ८४६७) श्री. नरेश करमालकर (फोन: ६४० ३३९८) श्री. रॉनी फर्नान्डीज (फोन: ६०५ ५२८०)

शहरी कृषि :

घर की छतों और बरामदे में फल, फूल और सब्जियाँ उगाने का बहुत सस्ता और आसान तरीका है. इसके लिए आपको स्टील की बाल्टी चाहिए और गन्ने का रस निकालने के बाद बचे हुए सूखे गन्ने का कचरा, साथ में किचन का गीला कचरा जरूरी होता है. बस यही सब -

१) छत पर या बरामदे में एक २०० लीटर मात्रा का ड्रम हर फ्लैट के कचरे के लिए रखे. हर ड्रम की बाजू वाली सतह में १६ छेद कीजिए.

२) सूखे गन्ने का कचरा नीचे सतह पर बिछाए.

३) उसके ऊपर हर दिन का गीला कचरा इकट्ठा करें हर दिन उस पर पानी का छिड़काव करे.

४. जब कचरा पहले छेद तक पहुँचे तो उसमें अपनी पसंद के फल, फुल या सब्जियों के बीज को लगा दे (जैसा चित्र में दिखाया गया है)

५. एक और सतह पर सूखे गन्ने के कचरे की एक और वह बिछाए.

६. उसी तरह गीले कचरे को उस पर बिछाए हर छेद की सतह पर सूखे गन्ने के कचरे की सतह बनाए.

७. इस तरह एक ड्रम में कुछ १६ पौधे लगाए जा सकते है एक ड्रम जब भर जाए तो दूसरा ड्रम शुरू कर दें..... बादमें तीसरा.....

एक २०० लीटर के ड्रम में पाँच सदस्यों के परिवार के ८ महीनों का गीला कचरा समा सकता है.

सलाह और सहायता के लिए मिले : श्री रमेश दोशी - फोन: ६४० १४३९.

'एएलएम' : बृहन्मुंबई महापालिका और नागरिकों की साझेदारी का प्रारूप.

बृहन्मुंबई महापालिका जानती है, कि स्वच्छ शहर उसके नागरिकों के सहयोग के बिना सिर्फ़ सपना है इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होने एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट (ए एल एम) का गठन किया. इसके अंदर एम सी जी एम कुछ निवासियों के समूह के साथ मिलकर, जिन्हें कूड़ा-करकट प्रबंधन के नियमों की जानकारी हो, काम की शुरूआत करता है.

नागरिकों का संगठन स्थानीय समस्याओं का पता कर एम सी जी एम के साथ उनका हल निकालता है. हर जगह एक वार्ड ऑफीसर, नोडल ऑफीसर (एन ओ) के साथ मिलकर स्थानीय नागरिकों के समूह के साथ कूड़ा-करकट प्रबंधन का काम करता है.

एएलएम द्वारा जिन बातों का ध्यान रखा जाता है वो कूड़ा-प्रबंधन, कृमि-उत्पादन, नालियों का काम, पानी, सौंदर्यीकरण, खोमचे-फेरीवाले, सड़कों की भराई / खुदाई, नक्काशी, आवारा पशु मवेशी, कीटनाशक, यातायात पर नजर रखी जाती है. नोडल ऑफीसर स्थानीय प्रशासन पर कड़ी नजर रखता है और एम सी जी एम के सारे कामों को निपटाता है.

स्थान/जगह :

एक एएलएम (की जगह) का ठिकाना १५ से २० बिल्डिंगो (करीब १००० आबादी) को मिलाकर एक ही सड़क पर होता है नागरिक मिलकर स्थानीय समिती बनाते है. जिसमें हर बिल्डिंग का एक प्रतिनिधी होता है. वॉर्ड ऑफिस को इसके गठन की जानकारी दी जाती है. स्थानीय समिती (एल सी) की बैठक हर महीने होती है और २ से ४ प्रतिनिधियों का चयन होता है जो एम सी जी एम के साथ काम करते है.

* हर परिवार को दो प्रकार के कचरे के लिए दो अलग अलग डिब्बे रखने चाहिए.
* हर परिवार सूखे कचरे को मोटे से थैले, या डब्बे में जमा करेगा जो बिल्डिंग के कचरे में हर हफ्तें जाएगा. पुर्नउपयोग के लिए जमा कचरा बिल्डिंग की जिम्मेदारी है, जो जमादार और कचराबीननेवाले शहर की पुनरुपयोग कचरापेटी नेटवर्क में ले जाते है. (सूखा कचरा एम सी जी एम समय-समय पर ले जाता है)
* रसोई के गीले कचरे को खाद बनाने में बिल्डिंग का सामूहिक प्रयास सफल रहता है. सही जगह बाल्टी बनाई जाए खाद बनाने के लिए, जो शहरी कृषि में उपयोगी पड़ता है.
* खाद का सामान बनाने वाली पेटियाँ निवासियों द्वारा एम सी जी एम को सौंप दी जाए. वो महापालिका भुगतान देकर लेगी.
* उस जगह के आस-पड़ोस के नागरिकों का दैनिक जीवन सेहतमंद रहे. स्थानीय समिती इसके लिए उस जगह का सौदर्यीकरण करें.
* एएलएम का एक ही मंत्र है सहयोग. हर बिल्डिंग से ५० पैसे से ५ रूपये तक प्रतिदिन प्रति

फ्लैट पैसा जमा किया जाना चाहिए जिससे एक बड़ी राशि इस काम को पूरा करने में जमा हो सके.

वॉर्ड ऑफिस :

सभी वॉर्ड ऑफिस ए एल एम की तरह ही होते है :

* नोडल ऑफिसर हर स्थानीय समिती से हफ्तें में एक बार जाकर मिले.
* वार्ड ऑफिस में स्थानीय समस्याओं का एक रजिस्टर रखा जाए.
* नोडल ऑफिसर, वार्ड ऑफिस और एम सी जी एम के साथ जुडा रहे जिससे समय-समय पर जरुरी निर्देश और काम को पूरा करवाया जा सके. हर बार स्थानीय जगह पर होने वाले कार्यो को पिछले कार्य की तुलना में देखे, महीने में एक बार वार्ड ऑफिसर समस्याओं को समझ कर उचित निर्देश दे.

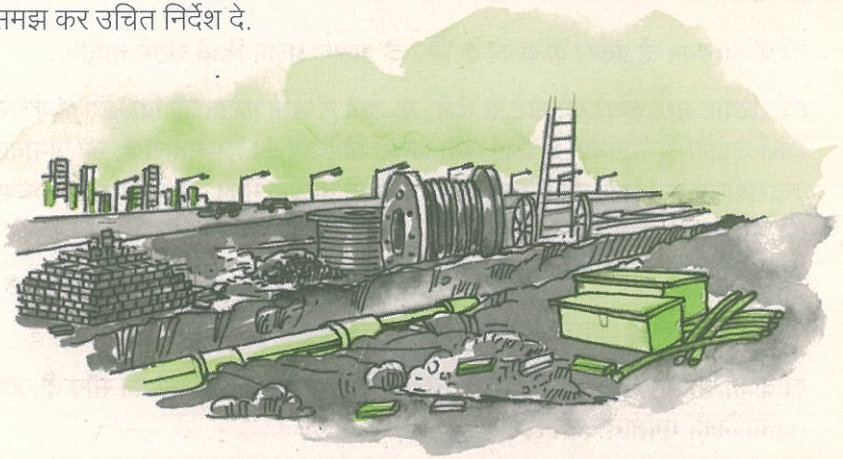

* नोडल ऑफिसर किसी भी बिल्डिंग या मोहल्ले की शिकायत को दर्ज करेगा. यदि शिकायत की कार्यवाही नहीं हुई तो वह वॉर्ड ऑफिसर और स्थानीय समिती के साथ उस पर कार्यवाही करेगा.
* स्थानीय समिती को निवासियों द्वारा करवाए गए मरम्मत आदि के कामों की जानकारी दी जाए.
* नोडल ऑफिसर को यह देखना है कि किस तरह बेस्ट, एम टी एन एल और एम सी जी एम के आपसी सामंजस्य से बेहतर काम, सड़क खुदवाई और मरम्मत को अच्छी तरह पूरा करवाया जा सके.

कचरा पेटी, सौंदर्यीकरण, बैनर्स...

वॉर्ड ऑफिस हर बिजली के खंबे पर कचरापेटी लगाएगा, शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देगा और जिसमें बताया जाएगा कि यह जगह ए एल एम की सदस्य है. उसका फोन नं. और नोडल ऑफिसर का नाम भी उसमें लिखा होगा. ए एल एम स्थानों पर जानकारी केन्द्र बनाए जाएंगे. उत्सुक, उत्साही लोगों के संपर्क करने पर उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सके. प्रचार, विज्ञापनों के द्वारा नागरिकों को इस आंदोलन, अभियान में शामिल होने की उत्सुकता को बढ़ाए.

स्थानिय समितियाँ क्या करें ? सुझाव व सलाहें

स्थानिय समिती को अपने क्षेत्र का हर महीनें या छः हफ्तों में चक्कर लगाना चाहिए. ये देखना चाहिए -

१. कूड़ा-करकट - नियमित रुप से हर घर से इकट्ठा हो रहा है.
२. सफाई कर्मचारी - ठीक से काम कर रहे हैं.
३. मलवा - नियमित रूप से हटाया जा रहा है.
४. सड़क और फूटपाथ सही ढंग से साफ हो.
५. सड़क पर खुदाई वाली जगह कॉन्ट्रेक्टर का नाम, फोन नं. काम की शुरूआत और खत्म होने की तारीख लिखी हो.
६. घर के कचरे को अलग-अलग करने का काम सही हो.
७. सड़क की कचरापेटी सही जगह और सही संख्या में हो.
८. दूसरी बार सफाई (अगर जरूरी हो तो) हो रही हो.
९. नालियाँ -सड़क की नालियाँ, पीने का पानी और बरसात के पानी की नालियाँ, पाइप सही दशा में हो.
१०. खाद उत्पादन गीले कचरे से कौन कर रहा है ? कैसे कर रहा है ?
११. कचरा बीनने वाले, जो इस काम से जुड़े हैं. उनका काम कौन देख रहा है ?
१२. फुटपाथ और सड़को पर गैरकानूनी अतिक्रमण न हो (बिना इजाजत का निर्माण, ठेले और फेरीवाले)
१३. इमारतों के निर्माण की स्थिति कैसी हो ? (गैरकानूनी बनी इमारते ढाँचे सही हो, उनका निवारण हो.)
१४. झुग्गी-झोपडियों में पानी की पूर्ति हो, साफ-सफाई अतिक्रमण की जानकारी हो.

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे ए एल एम. मिले : श्री श्रीकृष्ण भागवत फोन (९११) ४८३ २८३/४८१ २२१. मोबाइल - ९८२ ११ ३११ २४

कुछ समस्याओं के जवाब

विशेष समूह और समिती के सदस्य हर तरह से तैयार रहे कुछ शंकाओं और प्रश्नों के जवाब के लिए, जैसे :

प्र. क्या हमें दूसरी अलग से कचरापेटी लेनी होगी ?

उ. नहीं, सूखा कचरा किसी डब्बे, खोखे या कपड़े के बैग में (जो दरवाजे के पीछे लगा हो) जमा किया जा सकता है. आप अपनी सुविधा के हिसाब से कैसे भी कर सकते है.

प्र. क्या इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है ?

उ. नहीं, बस जरा सी समझदारी और आस-पड़ोस की समझबूझ के साथ बहुत ही आसान काम है.

प्र. अगर जमादार ही कचरे को मिला दे.

उ. वो ऐसा नहीं करेगा- अगर उसे अच्छी तरह इसके बारे में बताया जाए और इससे होने वाले फायदे उसे पता हो.

प्र. सूखा कचरा मवेशियों /जानवरों को आकर्षित करेगा तो ?

उ. नहीं जब तक अगर उसमें खाने वाली चीज न हो तो वो ऐसा नहीं करेगा.

प्र. बाथरूम / टॉयलेट के कचरे का क्या होगा ?

उ. बाथरूम, शौचालय का कचरा कागज के बैग में इकट्ठा किया जाए, प्लास्टिक में कभी नहीं. अगर ऐसा मुश्किल हो तो उसे गीले कचरे के साथ कागज की बैग में अलग निकाला जाए.

प्र. क्या हो अगर पड़ौसी कचरा अलग न करे ?

उ. इस योजना की शुरूआत अकेले होती है अगर आप भी ऐसा करेंगे तो योजना सफल है पड़ौसी का न देखे अगर आप गीला कचरा अलग रखेंगे तो वो आपसे सीखेंगे (योजना की शुरूआत भी अगर ७०% लोगो के कचरा अलग करने से हुई तो तारीफ की बात होगी)

प्र. उन्हें मै क्या बताऊँ ?

उ. आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि उन्हें कचरे को अलग करने का ढंग और इसके फायदे बताए उन्हें उनकी समस्याओं का जवाब दे. इसमें उनकी सहायता करे.

प्र. यदि हमारा कचरावाला और घर में काम करनेवाला ऐसा न करे तो क्या करूं ?

उ. आपको उन्हें समझाना होगा. वो अपने तरीके से कुछ दूसरा/अलग करे तो धीरे-धीरे उन्हें बताकर काफी कुछ समझाया जा सकता है. परंतु पहले हमें मन से इस योजना को अपनाना होगा.

यह कूड़ा-करकट प्रबंधन का मुख्य प्रोजेक्ट है. जो १९९१ में शुरू हुआ. एवायबीआई ने कचरा अलग करने की जागरूकता बढ़ाई हर समय नागरिकों, बिल्डिंगों और समूहों को इसके बारे में प्रदर्शन करके बताया गया. ३०० से ज्यादा स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया, जिन्होंने ५०० से ज्यादा घरों में जाकर व्यक्तिगत संपर्क किया.

डिग्नीटी फांउडेशन - ने वृद्ध नागरिकों को बेहतर जीवन की सुविधाएं प्रकाश में लाई. इसकी मुख्य कार्यविधि शहर के कचरे का निपटारा और इसे नियंत्रण में रखने के बारे में है. इसके सदस्य "आदर्श सड़के" (१५ मार्च १९९९ तक) और "कचरा यात्रा" जैसे नवीन कार्यक्रमों को पूरी सफलता से "क्लीन मुंबई विद डिग्निटी"के अंतर्गत चलाया.

एक्सेल इंडस्ट्रीज - काफी वर्षो से कचरा नियंत्रण और प्रबंधन के कार्य में है. उन्होने ऐसा पाउडर निर्माण किया है, जो जीवाश्म, आयुर्वेदिक अर्क और बायोकेमिकल एन्जायम से बनाया जाता है. यह कचरे की बदबू को कम कर उसे उपयोगी खाद बनाने का काम करता है. (मिले : डॉ. एस.आर. माले, फैक्स - ६७८ ३६५७) .

भावलकर – अर्थवार्म रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणे, (संपर्क : सुश्री विदुला और श्री उदय भावलकर फैक्स - ०२१२-४४२३०५)

प्रजा - (फोन - २१८ ८८६५, फैक्स - २१८ ५७३९) एक ऐसी संस्था है जो नागरिक प्रबंधन में हिस्सा ले यह देखती है. इन्होने एम सी जी एम के रोल और कर्त्तव्यों को बताया गया है. सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह बताया गया है कि नागरिक क्या करें और कैसे जानकारी पाएं, संपर्क करे (पद, पते और टेलीफोन संबंधी जानकारी) यदि कोई समस्या या शिकायत हो तो.

बॉम्बे फर्स्ट : फैक्स ४९२ ५०३९ : १९९६ में इसने कूड़ा-करकट प्रबंधन समिती का गठन किया. जिसमें चर्चगेट - प्रोजेक्ट जैसे कार्यक्रम चलाए (ऊपर देखे) अब आगे बढते हुए सभी 'ए' वार्ड और कुछ 'डी' वार्ड हिस्से, पश्चिम क्षेत्र में वर्कशॉप चलाना, आयोजित करना और अस्पताल के कचरे का प्रबंधन करना इसके सफल कार्यो में है.

श्री वीरेन मर्चेन्ट (फोन ५१३ १२९३) घाटकोपर के जोशी लेन के स्वावलंबी प्रोजेक्ट से जुडे है कहते है "यह जगह बेहद गंदी, हर तरफ कचरे से भरी, इतना कि कचरागली के नाम से ही जानी जाती है. हमने कचरे को अलग करना घर से शुरू किया, फिर खाद बनाई आज हमारे इसी जगह ७०० पौधों को हमने सड़को पर लगाया है. साथ हमने यहाँ एएलएम की शुरूआत की", पेशे से चार्टर्ड एकाउटेन्ट वीरेन कहते है "हम खुद पैसे जोडते है, हर फ्लैट से १ रूपया प्रतिदिन लेते है और सफाई के लिए एम सी जी एम पर कुछ नहीं छोड़त"

सुश्री नीना साहनी, दक्षिण मुंबई की रहनेवाली, सभी गृहणियों को इकठ्ठा कर खाद बनाने का प्रोजेक्ट चालू किया और यह खाद सिर्फ बिल्डिंग के गार्डन में ही नहीं बल्कि घर के गमलों में इस्तेमाल में लाया गया. जिसे देख पड़ोस की बिल्डिंगों में भी इसकी शुरूआत हुई. सुश्री साहनी कहती है "खाद बनाना सबसे अच्छा है, जहाँ गीला कचरा ज्यादा मात्रा में नहीं होता"

डॉ. रमेश दोशी (फोन :६४० १४३९) सेवानिवत्ति के बाद इनका शौक रसायनिक कृषि और टेरेस गार्डन के लिए खाद बनाने में शुरू हुआ. आजकल ये शहरी कृषि करते है. परिणाम बहुत अच्छे है. फल का अंकुरण जो वैसे ५ से ७ सालों में होता है, २ वर्षो में अंकुरित होने लगता है.

श्री नॉबर्ट डिसुझा (फोन ६०५ ६६०८) १९९४ से काफी पहले स्तर से कचरा नियंत्रण के काम में है. यह बॉयो-केमिकल पाउडर बनाने वाली भावलकर संस्थान, पुणे से जुडे हुए है.

श्री अनिल भाटीया (फोन २८१ १९४१) चर्चगेट प्रोजेक्ट में 'डी' रोड पर खाद बनाने की प्रकिया से जुड़े है. जहाँ आज १२ बिल्डिंग जुडी है. श्री भाटिया का मानना है कि "बच्चों का इस काम में जुड़ना हमें बेहद सफल बनाता है" सालभर में एम सी जी एम जो कभी ९५ कचरापेटी हटाती थी आज २० कचरापेटी ही इस क्षेत्र में पाती है.

मुंबई बचाओ कमिटी - किशन मेहता के निर्देशन में (फैक्स ४१५ ५५३६ फोन ४१४ ९६८८) कूड़ा-करकट प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इस ओर आकर्षित करने के काम में है. मुंबई बचाओ कमेटी ने कूड़ा-करकट प्रबंधन का काम एम सी जी एम और कई नागरिक संस्थाओं के सहयोग के साथ सफलता से पूरा किया, जिसके परिणाम साफ नजर आते है.

फेडरेशन ऑफ एच वेस्ट वार्ड सिटीजन एसोसिएशन -यह संस्था १९९२ में बनी. नागरिक समस्याओं के लिए इन्होनें संस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया. डिग्नीटी फाउंडेशन और कई नागरिक संस्थाओं के साथ इन्होंने काम किया, इस फेडरेशन ने ४३ स्थानीय जगह औ सड़क समितियों को वार्ड गठन करने में सहयोग दिया.

ए वाय बी आय : (एसोसियएन ऑफ यूथ फॉर अ बेटर इण्डिया) यह एक गैर-सरकारी स्वतंत्र विचारों वाले युवाओं की संस्था है. एवायबीआय का राष्ट्रीय कार्यक्रम १९९८ में साझेदारी एक बेहतर भारत के लिए (सरकारी, व्यवसायिक और गैर व्यावसायिक संस्थाओं का प्रयास) हुआ.

ये हो सकता है, ये हो रहा है !!

कई निवासी संस्थाए, गैर-सरकारी संस्थाए और प्राइवेट संस्थाओं, नागरिकों ने बड़ी ही सफलता से कचरे को पहले से ही अलग-अलग कर इस योजना को पूरा किया, खाद बनाने, कचरे का पुर्नउपयोग कर आदि कई प्रोजेक्टस इतनी सफलता से पूरे हुए कि उनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है -

क्लीन अप चर्चगेट (मिले - सुश्री नयना कथपालिया, फैक्स : २८२ ३८७७) : चर्चगेट काफी चहल-पहल से भरा मुख्य क्षेत्र है. यहाँ १५ लाख यात्री दिन में दो बार आते है. सबसे बड़ी सफलता है प्रोजेक्ट समूह में बढ़ती आपसी समझबूझ और काम की साझेदारी, क्लीन मुंबई फांउडेशन, मेरीन ड्राइव नागरिक संस्था, एम. कर्वे रोड निवासी संस्था, नरीमन पाइंट चर्चगेट नागरिक संस्था और ओवर कूपरेज निवासी संस्था ने बाम्बे फर्स्ट के शुरूआती चंदे से योजना चलाई. प्रोजेक्ट की सफलता इससे समझी जा सकती है कि एम सी जी एम के साथ दूसरी बार इस क्षेत्र की सफाई योजना चलाई गई. घरेलू कचरे को अलग-अलग करने पर दो वर्कशॉप रखे गए. सारी प्रक्रिया अब निर्धारित रूप से चलती है. खाद बनाने का काम सही रूप में चल रहा है. सार्वजनिक स्थलों को बचाने का काम, नागरिक अभियान अभी अपनी शुरूआत में है, जिससे मुंबई मे फेरी और ठेलोवालों से कई जगहों को बचाया जाएगा.

एम टी एन एल, बेस्ट और एम सी जी एम की सड़क खुदाई को नियंत्रित किया जाएगा. चर्चगेट के व्यापारिक संस्थाए इसके लिए चंदा इकट्ठा करते है.

क्लीन मुंबई फाऊंडेशन (अध्यक्षा - सुश्री कुंती ओझा फोन : २०४ ४८३८) : इन्होनें शहर के जीवनस्तर, रहने के स्तर को सुधारने के लिए अपने आपको समर्पित किया. क्लीन मुंबई फांउडेशन ने पाँच सालों में दर्जनों सफाई कार्य, सौंदर्यीकरण और पर्यावरण प्रोजेक्ट एम सी जी एम के साथ मिलकर पूरे किए. क्लीन मुंबई फांउडेशन को कई प्रतिष्ठित, बड़ी संस्थाओ और चंदा देने वालो का सहयोग मिला. यह बॉम्बे फर्स्ट के साथ कदम मिलाकर कई सफाई कार्यों को शहर भर में चला चुकी है.

यह पुस्तिका प्रकाशित की गई, बॉम्बे फर्स्ट, वाजीरानी विला, स्किम ४२,
वरली-सी फेस, मुंबई - ४०० ०१८ द्वारा.
फोन : ४९७-५३९४, ४९७-५३९५, फैक्स : ४९२-५०३९
या जानकारी के लिए संपर्क करे २०२-१६२१.